संख्या- /2016/ /पांच-6-16- मंत्री-52/16

प्रेषक,

अवधेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चिकित्सा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 21 सितम्बर, 2016

विषय:- एम.आई.के. जिला महिला चिकित्सालय, बलरामपुर के परिसर में चिकित्सा अधिकारी आवास 04 नग, श्रेणी-2 आवास 06 नग के भवन निर्माण तथा क्षतिग्रस्त वार्डो के नवीनीकरण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षण अभियन्ता के पत्र संख्या- 7651/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 30.05.16 व संख्या-9039/17फ/नि0नि0अ0/2016-17, दिनांक 04.07.16 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में एम.आई.के. जिला महिला चिकित्सालय, बलरामपुर के परिसर में चिकित्सा अधिकारी आवास-04 नग, श्रेणी-2 आवास 06 नग के भवन निर्माण तथा क्षतिग्रस्त वार्डो के नवीनीकरण कार्य हेतु 'उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड' को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए उक्त कार्यो के लिये कुल रू0-158.06 लाख (रूपया एक करोड़ अट्ठावन लाख छ: हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं रू0-79.03 लाख (रूपया उन्यासी लाख तीन हजार मात्र) की वित्तीय स्त्रीकृति, श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उक्त के संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 की व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(2) मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका तथा निर्माण इकाई के सक्षम अधिकारी द्वारा एम0ओ0यू0 निष्पादित किया जायेगा और निर्माण इकाई को उक्त धनराशि एम0ओ0यू0 निष्पादित होने पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) प्रश्नगत निर्माण कार्य को प्रत्येक दशा में इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

(4) प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(5) अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाक खाते में कदापि नहीं रखी जायेगी।

(6) निर्माण अवधि में प्रस्तावित परियोजना के स्कोप डिजाइन/ड्राइंग में परिवर्तन शासन की अनुमति के बिना न किया जाय।

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों की पुनरावृत्ति न हो।

(8) प्रस्तावित कार्यो का व्यय स्वीकृति आगणनों की सीमा तक ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अधिक अनिधिकृत व्यय नहीं किया जायेगा।

(9) कार्य की भौतिक प्रगति एवं गुणवत्ता संतुष्ट होने पर एवं कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिया जाय।

(10) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(11) कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में अनुमोदित सीमा तक ही सेंटेज चार्ज लिया जायेगा।

(12) आगणन में वर्णित एक प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

2- उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-32 लेखा शीर्षक-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-110-अस्पताल तथा औषधालय-42 जिला पुरूष/महिला चिकित्सालयों में सुधार, विस्तार एवं नवीनीकरण-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22.03.16 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय

(अवधेश कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव

संख्या-232 /2016/ 1666 (1)/पॉच-6-2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
3- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, बलरामपुर ।
4- अपर निदेशक, (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- निदेशक (चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
6- वित्त नियंत्रक ,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
7- अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
9- निदेशक/परियोजना प्रबन्धक, 'उ0प्र0 प्रोजेक्ट कार्पोरेशन लिमिटेड, इकाई-22, बहराईच ।
10- मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका, एम.आई.के. जिला महिला चिकित्सालय, बलरामपुर ।
11- कार्यालय आदेश पुस्तिका।
12- प्रशासकीय स्वीकृति की एक प्रति मूल पत्रावली में।
13- विभागीय वेब मास्टर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
उप सचिव